सं.ए.-27012/01/2023-कार्मिक नीति (भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ब्लॉक-IV, पुराना जेएनयू परिसर, नई दिल्ली

दिनांक : 14 मार्च, 2024

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति।

भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू की है। एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 17.07.2018 के का.ज्ञा.सं.ए-27012/02/2017-स्था.(ए.एल.) के पैरा 2(त) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:-

''*सीईए और छात्रावास सब्सिडी कक्षा* ***एक से पूर्व तीन कक्षाओं*** *से 12वीं कक्षा तक (कक्षा की नामपद्धति पर विचार किए बिना) अध्ययन करने वाले बच्चों के संबंध में तथा पॉलीटेक्निक/आईटीआई/इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के प्रारंभिक दो वर्षों, यदि बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पश्चात पाठ्यक्रम करता है और 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए बच्चों के लिए सरकारी कर्मचारी को सीईए/छात्रावास सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है, के लिए स्वीकार्य है।''*

2. इसके अतिरिक्त, उन सरकारी कर्मचारियों को सीईए/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु एकबारगी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिनके बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने के कारण एक अतिरिक्त कक्षा फिर से करनी पड़ी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से प्रभावी होगा।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जे.एस. कंठ)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालय/विभाग